mbpl

Mahanadi Basin Power Limited

सतत रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर

5 वर्षों का जश्न

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा | 2024 - 25

'दृष्टि'

" देश की उर्जा सुरक्षा और सतत विकाश की दिशा में
बाधाओं को अवसरों में बदलने वाले परिवेश के साथ
सतत विकास हेतु"

'उद्देश्य'

"नवोन्मेषी और पर्यावरण-अनुकुल प्रोद्योगिकी द्वारा
प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विश्वसनीय उर्जा उत्पन्न करना
तथासमाज के विकास में योगदान देना"

विषय-सूची :

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक	0
2.	सूचना	1-2
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	3-7
4.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब	8
5.	भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की टिप्पणियां	
6.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र	
7.	31 मार्च, 2025 वित्तीय वर्ष का लाभ हानि कथन	
8.	नकद प्रवाह विवरण.	
9.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	
10.	संतुलन शीट और लाभ-हानि विवरणी के तिप्पणियों का भाग	

कंपनी की जानकारी

निदेशक मंडल:

श्री केशव राव (DIN: 08651284)	अध्यक्ष	10.01.2020
श्री के एस सिंह (DIN: 09595085)	निदेशक	28.04.2022
श्री जी महापात्र (DIN: 10125609)	निदेशक	01.03.2023
श्री ए के पांडे (DIN: 10152192)	निदेशक	01.03.2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:
श्री एस.के. भुयां

वैधानिक लेखा परीक्षक:
मेसर्स दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कटक, ओडिशा।

बैंकर्स:
भारतीय स्टेट बैंक, भुवनेश्वर
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संबलपुर

पंजीकृत कार्यालय:
प्लॉट नं.जी-3,गडकना, चन्द्रशेखरपुर,
भुवनेश्वर-751017 (ओड़ीशा)

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
रजि. कार्यालय: प्लॉट नं.जी-3,गडकना, चन्द्रशेखरपुर,
भुवनेश्वर-751017 (ओड़ीशा)

15.07.2025

सूचना
14 वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की 14वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 21 जुलाई, 2025 को शाम 5.00 बजे प्लॉट संख्या G-3, गड़कना, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर- 751017 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (OAVM) के माध्यम से निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:-

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

2. श्री जी. महापात्रा (डीआईएन: 10125609) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति हेतु, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

3. श्री के.एस. सिंह, निदेशक (डीआईएन - 09595085) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के लिए

हस्ता/-
(केशव राव)
अध्यक्ष, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

प्लॉट नं. जी-3, मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर-751017.

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य, स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति भेजें जो उनके प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करे।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो, तो वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार, कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. नोटिस और उसके अनुलग्नक में उल्लिखित सभी दस्तावेज़, अन्य अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ, 14वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से पहले, सभी कार्य दिवसों में व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए खुले रखे जाने वाले रजिस्टर, बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने के अधिकार वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ होंगे।

सदस्य:

1) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
2) श्री उदय ए. काओले, सीएमडी, एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
3) श्री जुगल कुमार बोरा, डीटी (ओपी), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
4) श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
5) श्री अवध किशोर पांडे, महाप्रबंधक(खनन), एमसीएल, जागृति विहार, संबलपुर 768020
6) श्री गबर्धन महापात्र, जीएम (ई एंड एम), एमसीएल, जागृति विहार, संबलपुर 768020
7) श्री संजीब कुमार भुइयां, जीएम (ईएंडएम), एमसीएल, जागृति विहार, संबलपुर 768020

सभी निदेशक, एमबीपीएल

लेखा परीक्षक:

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), ओल्ड निज़ाम प्लेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता – 700020
2. मेसर्स दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कटक, ओडिशा।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति

शेयरधारक

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

सज्जनो,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी «महानदी बेसिन पावर लिमिटेड», (एक एसपीवी) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसपीवी को 02.12.2011 को ‹महानदी बेसिन पावर लिमिटेड› के रूप में शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर जी-3, गडकना, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751017 (ओडिशा) में है और 06.02.2012 को आरओसी, कटक द्वारा व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

कंपनी जिला सुन्दरगढ़ में 2X800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की प्रस्तावित विद्युत परियोजना का विकास, संचालन और रखरखाव करेगी। प्रस्तावित परियोजना का निष्पादन ईपीसी आधार पर किया जाएगा।

वित्तीय प्रदर्शन:

ब्यौरा	24-2023 (में लाख रुपये)	23-2022 (में लाख रुपये)
आय लिए के वर्ष	0	0
व्यय। लिए के वर्ष छोड़कर को व्यय परिशोधन और मूल्यह्रास	3.02	3.72
हानि। या लाभ पहले से व्यय परिशोधन और मूल्यह्रास	(02.3)	(3.72)
व्यय। परिशोधन और मूल्यह्रास :घटाएँ	0.00	09.0
पहले से कर लेकिन ,हानि या लाभ बाद के व्यय परिशोधन और मूल्यह्रास	(02.3)	(3.81)
कर वर्तमान :घटाएँ	0	0
हानि या लाभ बाद के कर	(02.3)	(3.81)

कंपनी निर्माण चरण में है और परिचालन गतिविधियाँ अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय, जो सीधे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परियोजना के लिए जिम्मेदार हैं, को पूंजीकृत कर दिया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष व्यय लाभ और हानि विवरण में चार्ज किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से 3241.00 लाख रुपये का असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण लिया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, जैसा लागू हो और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड («सेबी») द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय GAAP) के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक, यदि शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। प्रबंधन ने हाल ही में जारी या संशोधित सभी लेखांकन मानकों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया। कंपनी ने तिमाही और वार्षिक आधार पर स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का खुलासा किया है।

लाभांश:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया ।

आरक्षित निधि:

कंपनी ने रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की ।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी) की भूमिका :

क) साइट की पहचान.

ख) भूमि का अधिग्रहण.

ग) जल लिंकेज, ईंधन लिंकेज आदि प्राप्त करना।

घ) विभिन्न तकनीकी अध्ययन आयोजित करना और परियोजना सूचना रिपोर्ट तैयार करना।

ई) सभी वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करना जैसे पर्यावरण, वन, रक्षा, विमानन आदि।

च) एमसीएल/एमबीपीएल के विद्युत संयंत्र के लिए विनिर्देश तैयार करने हेतु सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाता एवं मालिक के इंजीनियर का चयन, खुली निविदा के माध्यम से उपयुक्त ईपीसी ठेकेदार का चयन, पूर्व-अनुबंध सेवा, अनुबंध के बाद सेवा, परियोजना निगरानी सेवा, संयंत्र अधिग्रहण सेवा, उप निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण सेवा और साइट इंजीनियरों की नियुक्ति तथा विद्युत संयंत्र के लिए आवश्यक अन्य छूटे हुए कार्यों के साथ-साथ ओ एंड एम ऑपरेटर का चयन।

कंपनी की गतिविधियां- वर्तमान स्थिति:

भूमि:

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के भेड़ाबहाल गांव में चरण-1 में 2 x 800 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है (चरण-2 में 2400 मेगावाट के विस्तार का प्रस्ताव है), जिसे पहले यूएमपीपी के लिए निर्धारित किया गया था।

कुल 3245 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये (लगभग) है। ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (ओआईपीएल), एमबीपीएल और औद्योगिक विकास निगम, ओडिशा (आईडीसीओ) के बीच त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के माध्यम से भूमि एमबीपीएल के नाम पर हस्तांतरित की जानी है।

भेड़ाबहाल स्थल के पुनर्वास एवं पुनर्वास (आर एंड आर) मुद्दे पर पहुँच के बाद टीपीए पर हस्ताक्षर किए जाएँगे, जिसके लिए आरपीडीएसी सदस्यों का चयन पूरा हो चुका है।

आरपीडीएसी के लिए दो प्रारंभिक बैठकें आयोजित की गईं।

पीएएफ सूची को अगस्त 2024 में संबलपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से अद्यतन किया गया।

एनआईटी राउरकेला ने सितंबर 2024 में पुनर्वास एवं पुनर्वास स्थल की योजना और डिज़ाइन पूरा कर लिया।

सलाहकार/मालिकों का चयन:-

दिनांक 07.05.2025 को आयोजित 478वीं सीआईएल बोर्ड बैठक में, एनटीपीसी कंसल्टेंसी डिवीजन को पीएमसी सह मालिक इंजीनियर के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन दिया गया है, आर एंड आर स्थिति और भूमि के कब्जे का आकलन करने के बाद एलओए जारी किया जाएगा।

पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट:-

2 x 800 मेगावाट (चरण-I) के लिए पीएफआर मेसर्स डेलोइट द्वारा तैयार किया गया है।

पी.पी.ए. पर प्रगति .

असम सरकार के साथ 1200 मेगावाट बिजली के लिए और हरियाणा के साथ 800 मेगावाट बिजली के लिए 24.03.2023 को पीपीए हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार के डिस्कॉम से 800 मेगावाट और ओडिशा सरकार से 800 मेगावाट के लिए सहमति प्राप्त हुई।

एमबीपीएल ने धारा 62 के तहत छूट के लिए विद्युत मंत्रालय को आवेदन दिया है और यह विचाराधीन है।

मेसर्स डेलोइट को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत बिजली बेचने के लिए विद्युत मंत्रालय को याचिका प्रस्तुत करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

वैधानिक मंजूरी:-

एचएलसीए, ओडिशा सरकार ने भेड़ाबहाल में 1800 मेगावाट क्षमता की परियोजना को मंजूरी दी।

भूमि के अंतिम रूप देने के बाद, जल लिंकेज और चिमनी की ऊंचाई पर मंजूरी के लिए आवेदन भरा जाएगा।

पर्यावरण मंजूरी- इस भूमि के लिए ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (ओआईपीएल) के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी 2026 तक वैध है। टीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद एमबीपीएल के नाम पर पर्यावरण मंजूरी के हस्तांतरण के लिए आवेदन भरना होगा।

वन मंजूरी - इस भूमि के लिए ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (ओआईपीएल) के लिए स्टेज-I एफसी प्राप्त हुई, जो 2022 तक वैध है, ओआईपीएल द्वारा एफसी स्टेज-I के विस्तार के लिए आवेदन भरा गया है। टीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ईसी के हस्तांतरण के लिए आवेदन भरा जाएगा।

जल मंजूरी: ओआईपीएल के लिए सरकार द्वारा 120 क्यूसेक पानी स्वीकृत किया गया। टीपीए पर हस्ताक्षर के बाद आवंटन हस्तांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा।

कोयला लिंकेज : 29.06.2017 को एमबीपीएल के लिए 9 एमटी कोयला लिंकेज को मंजूरी दी गई, शून्य तिथि को अंतिम रूप देने के बाद एमसीएल से पक्का आवंटन पत्र प्राप्त किया जाएगा।

इक्विटी निवेश:-

एमबीपीएल के माध्यम से 2X800 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए एमसीएल द्वारा 30% की सीमा से अधिक इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियां:

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसकी कोई सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

सावधि जमा:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत परिभाषित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके नियंत्रण को उचित महत्व दिया जाता है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है।

सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोअर नीति:

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी की गतिविधियां सीएंडएजी, सतर्कता विभाग, सीबीआई आदि द्वारा लेखापरीक्षा के लिए खुली हैं।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लागू नहीं होता है।

पूंजी संरचना:

31.3.2025 को कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी केवल 5,00,000 (पांच लाख रुपये) पर बनी रही, जिसे 10 रुपये प्रति शेयर के 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया। 31.3.2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 5,00,000 रुपये पर अपरिवर्तित रही। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

संगठनात्मक संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एसपीवी के पास एसोसिएशन के ज्ञापन (एमओए) और एसोसिएशन के लेखों के 07 (सात) ग्राहक हैं; और एसपीवी के बोर्ड में सीएमडी, एमसीएल द्वारा नामित 04 (चार) निदेशक हैं। इसके अलावा, एसपीवी के बोर्ड की देखरेख और नियंत्रण में एसपीवी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक सीईओ को नियुक्त किया गया है।

कार्यात्मक सहायता:

कंपनी को एसपीवी की स्थापना और सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी कार्यात्मक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें फोन, फैक्स, कंप्यूटर, वाहन और एसपीवी के दैनिक कामकाज के लिए आवश्यक सभी अन्य प्रशासनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित कार्यालय स्थान शामिल है। प्रशासनिक और कर्मचारी सहायता प्रदान की जा रही है और खर्च को एसपीवी के अलग खाता शीर्ष में आवंटित किया जाता है जिसे ब्याज के साथ एसपीवी में एमसीएल द्वारा योगदान की जाने वाली इक्विटी के विरुद्ध सेट ऑफ किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय/व्यय के संबंध में विवरण:

कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रौद्योगिकी हासिल नहीं की है। चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात और आयात से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की है। वित्तीय वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा व्यय और विदेशी आय नहीं हुई है।

निदेशक मंडल:

31 मार्च, 2024 तक निम्नलिखित व्यक्तियों को महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है:

नाम	नाम का पद	दिनांक से
श्री केशव राव (DIN: 08651284)	अध्यक्ष	10/01/2020
श्री केएस सिंह (DIN: DIN - 09595085)	निदेशक	28.04.2022
श्री जी. महापात्र (DIN: 10125609)	निदेशक	01/03/2023
श्री एके पांडे (DIN: 10152192)	निदेशक	01/03/2023

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

क्र	विवरण	तारीख	बैठक स्थल
1	निदेशक मण्डल की 68 वीं बैठक	12.04.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
2	निदेशक मण्डल की 69 वीं बैठक	11.07.2024	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
3	निदेशक मण्डल की 70 वीं बैठक	02.08.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
4	निदेशक मण्डल की 71 वीं बैठक	28.08.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
5	निदेशक मण्डल की 72 वीं बैठक	17.09.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
6	निदेशक मण्डल की 73 वीं बैठक	07.10.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
7	निदेशक मण्डल की 74 वीं बैठक	14.12.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
8	निदेशक मण्डल की 75 वीं बैठक	08.01.2025	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की संरचना, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति का विवरण:

निदेशकों का नाम	वर्ग	बोर्ड की बैठकें	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री केशव राव	गैर कार्यकारी	08	08
सिंह .एस.के श्री	गैर कार्यकारी	08	07
महापात्रा .जी श्री	गैर कार्यकारी	08	08
पाण्डेय.के.ए श्री	गैर कार्यकारी	08	07

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या उपबंधों का विवरण:

वर्ष के दौरान कंपनी का संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या उपबंध नहीं है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार तथा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसार निम्नलिखित वर्णन करते हैं:

क) 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है (खातों पर नोट्स में बताए गए को छोड़कर) साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के

प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खाते चालू वित्त वर्ष के आधार पर तैयार कर लिए हैं;

ई. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

च निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

वैधानिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत मेसर्स दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के सी एंड एजी, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंधन का उत्तर (यदि कोई हो), योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए अस्वीकरण के साथ संलग्न है।

सी एवं एजी की टिप्पणियाँ:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में वार्षिक रिटर्न (फॉर्म संख्या एमजीटी-9) का अंश एमसीएल की वेबसाइट पर इस लिंक पर अपलोड किया गया है: http://www.mahanadicoal.in/Financial/anual_report.php

आभार:

आपके निदेशक कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को उनके बहुमूल्य सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक विभिन्न कंपनियों को भी धन्यवाद देते हैं

केंद्रीय सरकार और ओडिशा राज्य सरकार के मंत्रालयों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद। निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों और ओडिशा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की भी सराहना की।

निदेशकगण सुंदरगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों तथा ओडिशा के कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समय-समय पर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

परिशिष्ट:

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

हस्ता/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 09.04.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सभी सदस्यगण
मेसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
भुवनेश्वर

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं। (जिन्हें आगे "वित्तीय विवरण» के रूप में संदर्भित किया गया है।)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम›) द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के कामकाज की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं ।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (10) 143 के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों के अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

अन्य मामले

कंपनी के पास प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत 2,887.47 लाख रुपये (तुलन पत्र के लिए नोट संख्या-3.2) का मूल्य है: यह कंपनी की स्थापना के बाद से संचित परियोजना विकास व्यय है, अर्थात वर्ष 2011 से, इस प्रगतिरत पूंजीगत कार्य से अब तक कोई ठोस संपत्ति उत्पन्न नहीं हुई है।

यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट 9 अप्रैल, 2025 की मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है, जिसे अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट, अनुलग्नक-2 के बिंदु संख्या 2 और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 के क्रम संख्या (iii), (vii) और (xix) के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया केवल इस अनुच्छेद में उल्लिखित मद में किए गए संशोधन तक ही सीमित है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट वाली जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण ग़लत विवरण है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन के विवरण की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल है, इसके तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं और भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानक के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं। शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के ऐसे संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उचित रूप से उम्मीद की जाती है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 («आदेश») की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण « अनुलग्नक-1 « में देते हैं।

हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर « अनुलग्नक-2 « में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

2. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

3. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए बनाए गए प्रासंगिक खाता बहियों के अनुरूप हैं ।

   i. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2021 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ii. हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

   iii. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया» अनुलग्नक-3" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित मत व्यक्त करती है।

   iv. अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

   v. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं («मध्यस्थ») शामिल हैं, कोई भी निधि (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं («अंतिम लाभार्थी») को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

   vi. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं («वित्तपोषण पक्ष») शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष («अंतिम लाभार्थी») द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी; तथा

   vii. हमने जिन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के अनुसार उचित और समुचित माना है, उनके आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खण्ड (1) और (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी गलत कथन निहित है।

   viii. वर्ष के दौरान दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति; लागू नहीं

   ix. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का ब्यौरा, इसके कारणों सहित; लागू नहीं

   x. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

   xi. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई भी ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है, जो उसके भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

   xii. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास कोई भी ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

xiii जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी भौतिक हानि की आशंका नहीं जताई है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण के लिए कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है और जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत अपेक्षित है, फंड में किसी भी राशि को हस्तांतरित करने में देरी नहीं होती है।

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

xiv. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 324349ई

हस्ता/-
सीए दिलीप कुमार मोहंती,
साझेदार
एम नं. 058471
यूडीआईएन-25058471BMJMYO3964

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: 17/05/2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक1-

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के वित्तीय विवरणों पर **महानदी बेसिन पावर लिमिटेड** के सदस्यों को दी गई हमारी आज की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित विवरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है तथा ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई है तथा हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है ।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए उसके पास कोई स्वामित्व विलेख भी नहीं है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 2016) 1988 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2025 तक कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ii) क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है या गारंटी नहीं दी है, या किसी अन्य संस्था को सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई निवेश नहीं किया है, और इसलिए आदेश के खंड 3(iii)(क) से (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

a) हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य लागू वैधानिक बकाया शामिल हैं।

b) कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया के संबंध में विवादित बकाया राशि का विवरण किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, इसमें शामिल राशि और फोरम जहां 31 मार्च 2025 तक विवाद लंबित है, नीचे दर्शाया गया है-

क्रम सं.	नाम का क़ानून	प्रकृति बकाया	मात्रा (में लाख रुपये)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
--	--	--	--	--	--

(viii) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) a) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

c) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

e) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चला कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

f) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश)ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी4- में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

ग) शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जबकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया गया है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड) xii (के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी एक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है तथा संबंधित पक्ष लेनदेन करती है ,इसलिए उसने भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 26 के तहत अपेक्षित प्रासंगिक विवरण का खुलासा किया है।

लेखापरीक्षित वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी को बकाया चालू खाते पर ब्याज के रूप में 248.23 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड(xiv)(क) एवं (xiv)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड) xv (कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ,की धारा -45Iए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) एवं (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे लेखा परीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए परिचालनपूर्व व्यय के कारण तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी कंपनी को नकद घाटा हुआ है। नकद घाटे की राशि 3.02 लाख रुपये है, पिछले वर्ष में यह3.72 लाख रुपये थी।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

(xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 324349ई

हस्ता/-
सीए दिलीप कुमार मोहंती,
साझेदार

स्थान : भुवनेश्वर
एम नं. 058471

दिनांक: 17/05/2025
यूडीआईएन-25058471BMJMYO3964

2-अनुलग्नक का रिपोर्ट की परीक्षक लेखा स्वतंत्र
रिपोर्ट में अनुसरण के निर्देश अतिरिक्त और निर्देश तहत के (5)143 धारा की 2013,अधिनियम कंपनी
को परीक्षकों लेखा सांविधिक लिए के 25-2024 वर्ष के लिमिटेड पावर बेसिन महानदी

क्रम सं.	विवरण	लेखा परीक्षक का उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी के खाते एसएपी ईआरपी में नहीं, बल्कि टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसमें ऑडिट ट्रेल(एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जिसमें सभी डेटा मैन्युअल फीडिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किये जाते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी में कोई विनिर्माण या कोई अन्य संचालन नहीं होता है।
2	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋण देने वाली कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालना आदि नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइये।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 324349ई

हस्ता/-
सीए दिलीप कुमार मोहंती,
साझेदार
एम नं. 058471
यूडीआईएन-25058471BMJMYO3964

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: 17/05/2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम›) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया गया है, जो कि समाप्त वर्ष और आज तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ संयोजन में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता ,और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा ('मार्गदर्शन नोट') पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानी गई,आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे , जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 324349ई

हस्ता/-
सीए दिलीप कुमार मोहंती,
साझेदार
एम नं. 058471
यूडीआईएन-25058471BMJMYO3964

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: 17/05/2025

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के खातों की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 324349ई

हस्ता/-

सीए दिलीप कुमार मोहंती,

साझेदार
एम नं. 058471
यूडीआईएन-25058471BMJMYO3964

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: 17/05/2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पवार लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 5) 139) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 10)143) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। जानकारी दी गई है कि उन्होंने 17 मई 2025 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया है, जो उनकी 09 अप्रैल 2025 की पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 6)143)(क) के अंतर्गत महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए, धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मुझे और कुछ जोड़ने या कहने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(यशोधरा राय चौधरी)

महानिदेशक एवं एडीएआई

कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 26 मई, 2025

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

तुलन पत्र			दिनांक को	
परिसंपत्तियाँ		**टिप्पणी नं**	**31.03.2025**	**31.03.2024**
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		3.1	0.53	0.53
पूंजीगत कार्य प्रगति		3.2	2,887.47	2,565.19
अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ		3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	-	-
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.5	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	निवेश	4.1	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	75.24	75.24
स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		11.2	-	-
गैर - चालू कर परिसंपत्तियाँ		11.1	-	-
अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ		6.1	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ			**2,963.24**	**2,640.96**
चालू परिसंपत्तियाँ				
वस्तु सूची		5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्ति	निवेश	4.1	-	-
	व्यापार प्राप्य	4.3	-	-
	नकद एवं नकद समकक्ष	4.4	9.84	5.45
	अन्य बैंक शेष	4.5	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	-	-
र्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		11.1	3.08	3.08
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		6.2	0.01	0.01
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ			**12.93**	**8.54**
कुल परिसंपत्तियाँ			**2,976.17**	**2,649.50**
इक्विटी और देयताएँ				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	5.00	5.00
अन्य इक्विटी		7.2	(613.74)	(610.71)
कंपनी के इक्विटीधारकों के लिए इक्विटी			**(608.74)**	**(605.71)**
गैर-नियंत्रक हित		7.3	-	-
कुल इक्विटी			**(608.74)**	**(605.71)**
देयताएँ				
गैर-वर्तमान देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-

	लीज़ देयताएँ	8.2	-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	-	-
प्रावधान		9.1	-	-
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		11.2	-	-
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ		10.1	-	-
कुल गैर-वर्तमान देयताएँ			-	-
वर्तमान देयताएँ				
वित्तीय देयताएं	उधार	8.1	-	-
	लीज़ देयताएँ	8.2	-	-
	व्यापार देयताएँ	8.3		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि; तथा		-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	3,578.79	3,249.77
अन्य वर्तमान देयताएं		10.2	6.13	5.44
प्रावधान		9.1	-	-
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		11.1	-	-
कुल वर्तमान देयताएं			**3,584.91**	**3,255.21**
कुल इक्विटी और देयताएँ			**2,976.17**	**2,649.50**

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

हस्ता/-
(एम.आर.मिश्रा)
प्रबंधक(वित्त)
डीआईएन-10125609

हस्ता/-
(एस. के. भुइयां)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(जी. महापात्र)
निर्देशक

हस्ता/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए दिलीप कुमार मोहंती)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 058471

तारीख : 09.04.2025
स्थान:भुवनेश्वर

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

लाभ और हानि का विवरण	**टिप्पणी सं.**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
			(₹ लाख में)
परिचालन से राजस्व (शुल्क के बाद शुद्ध)			
विक्रय	12.1	-	-
अन्य प्रचालन राजस्व	12.1	-	-
परिचालन से राजस्व (शुल्क के बाद शुद्ध)		-	-
अन्य आय	12.2	-	-
कुल आय		-	-
व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद	13.1(a)	-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	-	-
वित्त लागत	13.4	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय	13.5	-	0.09
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	13.6		-
ठेकेदारीय व्यय	13.7	-	-
अन्य व्यय	13.8	3.02	3.72
कुल व्यय		**3.02**	**3.81**
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/हानि		**(3.02)**	**(3.81)**
संयुक्त उद्यम के शेयर लाभ/ हानि		-	-
कर पूर्व लाभ		**(3.02)**	**(3.81)**
कर व्यय	14.1		
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		-	-
अवधि के लिए लाभ		**(3.02)**	**(3.81)**
अन्य व्यापक आय	15.1		
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)		**(3.02)**	**(3.81)**
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामित्व		(3.02)	(3.81)
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		(3.02)	(3.81)

अन्य व्यापक आय के कारण :		
कंपनी के स्वामित्व	-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
	-	-
कुल व्यापक आय के कारण :		
कंपनी के स्वामित्व	(3.02)	(3.81)
गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
	(3.02)	(3.81)
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक): (वित्त वर्ष और पिछली अवधि के लिए पुनः घोषित)		
मौलिक	(6.05)	(7.62)
मंदित	(6.05)	(7.62)

ईपीएस की गणना के लिए नोट 16 (8) (डी) देखें

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

हस्ता/-
(एम.आर.मिश्रा)
प्रबंधक(वित्त)
डीआईएन-10125609

हस्ता/-
(एस. के. भुइयां)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(जी. महापात्र)
निर्देशक

हस्ता/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए दिलीप कुमार मोहंती)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 058471

तारीख : 09.04.2025
स्थान:भुवनेश्वर

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए						
विवरण	**01.04.2024 तक शेष**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**		**310.3.2025 तक शेष**		
प्रत्येक ₹ 10/- के 50000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	5.00	-		5.00		
31.03.2024 तक						
विवरण	**01.04.2023 तक शेष**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**		**31.03.2024 तक शेष**		
प्रत्येक ₹ 10/- के 50000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	5.00	-		5.00		
ख. अन्य इक्विटी						
विवरण	**आरक्षित और अधिशेष**				**किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय संबंधी मतभेद (ओसीआई)**	**कुल**
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	**सामान्य रिजर्व**	**प्रतिधारित आय**	**(ओसीआई) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापा (कर का निवल) -**		
01.04.2024 तक शेष	-	-	**(610.71)**	-	-	**(610.71)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2024 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	**(610.71)**	-	-	**(610.71)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	(3.02)	-		**(3.02)**
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-		-
शेयरों की पुनः खरीद	-	-	-	-		-
बायबैक पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-		-
31.03.2025 तक शेष	-	-	**(613.74)**	-	-	**(613.74)**

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय संबंधी मतभेद (ओसीआई)	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	(ओसीआई) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) -		
01.04.2023 तक शेष	-	-	**(606.90)**	-	-	(606.90)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	**(606.90)**	-	-	**(606.90)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			(3.81)	-		(3.81)
अन्तरिम लाभांश			-			-
अंतिम लाभांश			-			-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण		-	-			-
शेयरों की पुनः खरीद						-
बायबैक पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2024 तक शेष	-	-	**(610.71)**	-	-	**(610.71)**

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

हस्ता/-
(एम.आर.मिश्रा)
प्रबंधक(वित्त)
डीआईएन-10125609

हस्ता/-
(एस. के. भुइयां)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(जी. महापात्र)
निर्देशक

हस्ता/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए दिलीप कुमार मोहंती)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 058471

तारीख : 09.04.2025
स्थान:भुवनेश्वर

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर देने से पूर्व लाभ		(3.02)	(3.81)
निम्न के लिए समायोजन :			
संयुक्त उद्यम का हिस्सा		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		-	0.09
ब्याज और लाभांश आय		-	-
वित्त लागत		-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि		-	-
देयता और प्रावधान वापस लिखा गया (शुद्ध)		-	-
व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता		-	-
अन्य भत्ते और बट्टे खाते में डालना		-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता		-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**(3.02)**	**(3.72)**
निम्न के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्य		-	-
वस्तु-सूची		-	-
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां		0.00	(0.13)
वित्तीय एवं अन्य देयताएं		329.70	267.01
व्यापार देनदारियां		-	-
संचालन से उत्पन्न नकद		**326.68**	**263.16**
आयकर (भुगतान किया गया)		-	-
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	(A)	**326.68**	**263.16**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		(322.28)	(266.32)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री आय		-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में वृद्धि		-	-
बैंक जमा में आय/(निवेश)		-	-
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)		-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश से ब्याज		-	-
म्यूचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/लाभांश		-	-
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश			

निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	(B)	(322.28)		(266.32)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
गैर-वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(अदायगी)		-		-
वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(अदायगी)				
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		-		-
भुगतान किया गया ब्याज		-		-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-		-
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश		-		-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-		-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-		-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(C)	-		-
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		4.40		(3.16)
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		5.45		3.32
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		9.84		0.16
नकदी और नकदी समतुल्यों का समाधान (नोट 4.4 देखें)				
नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद शुद्ध)		9.84		5.45
नकदी और नकदी समकक्ष के घटक				
(क) बैंकों के पास शेष राशि				
- जमा खातों में		-	#	-
- चालू खातों में		9.84		5.45
- ब्याज देने वाले (सीएलटीडी खाता आदि)				
- ब्याज न देने वाले				
- नकद ऋण खातों में			#	
(ख) भारत के बाहर बैंक बैलेंस		-	#	-
(ग) प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी		-	#	-
(घ) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प		-	#	-
(ड़) हस्तगत नकद		-	#	-
(च) भारत के बाहर हस्तगत नकद		-	#	-
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट		-		-
(ज) अन्य ई-खरीद खाता/जीईएम खाता/अग्रिम शेष		-	#	-
कुल (नकदी और नकदी समतुल्य के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)		9.84		5.45

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 दिसम्बर 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-वर्तमान उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:	-		-
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक समापन शेष	-	-	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-वर्तमान उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि			-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक समापन शेष	-	-	-

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

हस्ता/-
(एम.आर.मिश्रा)
प्रबंधक(वित्त)
डीआईएन-10125609

हस्ता/-
(एस. के. भुइयां)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(जी. महापात्र)
निर्देशक

हस्ता/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए दिलीप कुमार मोहंती)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 058471

तारीख : 09.04.2025
स्थान:भुवनेश्वर

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-3.1: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधार संरचना	सर्वेड ऑफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
01.04.2023 के अनुसार						9.22		1.54	-	-	-	0.05			10.81
परिवर्धन															-
विलोपन / समायोजन								(0.70)							(0.70)
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	9.22	-	0.84	-	-	-	0.05	-	-	10.11
	-	-	-	-	-	9.22		0.84	-	-	-	0.05	-	-	10.11
01अप्रैल, 2024 के अनुसार															-
परिवर्धन								-							-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	9.22	-	0.84	-	-	-	0.05	-	-	10.11
31 मार्च, 2025 के अनुसार															
						8.76	-	1.39							10.15
संचित मूल्यह्रास और हानि								(0.57)							(0.57)
01.04.2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	8.76	-	0.83	-	-	-	-	-	-	9.58
वर्ष के लिए प्रभार															
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	8.76	-	0.83	-	-	-	-	-	-	9.59
31 मार्च, 2024 के अनुसार															-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	8.76	-	0.83	-	-	-	-	-	-	9.58
वर्ष के लिए प्रभार															
विलोपन / समायोजन															-
31 मार्च, 2025 के अनुसार															-
संचित हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार															-
विलोपन / समायोजन															-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	0.46	-	0.02	-	-	-	0.05	-	-	0.53
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	0.46	-	0.02	-	-	-	0.05	-	-	0.53
विलोपन / समायोजन															
31 मार्च, 2025 के अनुसार															
शुद्ध वहन राशि															
31 मार्च, 2025 के अनुसार															
31 मार्च, 2024 के अनुसार															

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-3.2: पूँजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	**अन्य अवसंरचना/ विकास**	**निर्माणाधीन रेल कॉरीडोर**	**सौर परियोजना**	**अन्य**	**कुल**
सकल वहन राशि:								
01.04.2023 के अनुसार				2,298.84				2,298.84
परिवर्धन				266.35				266.35
पूंजीकरण/विलोपन								-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	2,565.19				2,565.19
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	2,565.19				2,565.19
परिवर्धन				322.28				322.28
पूंजीकरण/विलोपन								
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	2,887.47	-	-	-	2,887.47
संचित हानि								
01.04.2023 के अनुसार								-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	2,887.47	-	-	-	2,887.47
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	2,565.19	-	-	-	2,565.19

3.2.1. पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची (सकल):					
	में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से बंद :					-
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-

	31.03.2024 को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से बंद :					-
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

<u>टिप्पणी 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां</u>

	(₹ लाख में) **अन्वेषण और मूल्यांकन लागत**
सकल वहन राशि:	
01.04.2023 के अनुसार	
योग	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन	
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-
योग	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन	
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-
संचित हानि	
01.04.2023 के अनुसार	
वर्ष के लिए प्रभार	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-

अन्वेषण और मूल्यांकन

3.3.1. आयु निर्धारण अनुसूची अन्वेषण और मूल्यांकन (सकल)

	31.03.2025 तक अन्वेषण और मूल्यांकन मे राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-

	31.03.2024 तक अन्वेषण और मूल्यांकन मे राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-

3.3.2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन

		में पूर्ण किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
कुल		-	-	-	

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि: :					
01.04.2023 के अनुसार					-
योग					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
योग			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित परिशोधन					
01.04.2023 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित हानि					
01.04.2023 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3.5: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी	रेल कॉरिडोर विकासधीन	कुल
वहन राशि:			
01.04.2023 के अनुसार	-		-
योग	-		-
पूंजीकरण/विलोपन	-		-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-
योग		-	-
पूंजीकरण/विलोपन		-	-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-
संचित हानि			
01.04.2023 के अनुसार	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

1. विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु वृद्धि अनुसूची

	वर्तमान मे विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएं:					
विकासाधीन ईआरपी	-	-	-	-	-
विकासाधीन रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं :					
परियोजना का नाम					
कुल	-		-	-	-
	0 पर विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएं:					
विकासाधीन ईआरपी					-
विकासाधीन रेल कॉरिडोर					-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं :					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-
2. विकास के अंतर्गत अतिदेय भौतिक अमूर्त संपत्तियां					
	To be completed in				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
विकासाधीन ईआरपी					
कुल		-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के प्रारम्भ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी: 1

1. **निगमित जानकारी**

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 2011 में ओड़िशा के सुंदरगढ जिले में बसुंधरा-गर्जनबहाल कोयला खदानों के आस-पास 2 x 800 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए निगमित किया गया था।

ख. **अनुपालन विवरण और हालिया लेखा घोषणा**

i) अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (जिसे आगे «इंड एएस» कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं जो कि कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित हैं, जो कि कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पढ़ी जाती है («अधिनियम»)। जिन इंड एएस को जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाया गया है, उन्हें वित्तीय विवरण के प्राधिकृत होने तक माना गया है और इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए विचार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक आरंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

ii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करते हैं। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

टिप्पणी 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परंपरा सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह कार्य करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंकों तक 'लाख रुपए में' पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 **चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण**

कंपनी तुलनपत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति की प्राप्ति, या इसे बेचने या उपभोग करे;

(ख) यह परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखता है;

(ग) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद हो; या

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य (भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित) हो, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग

अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब:

(क) उसे अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद हो;

(ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए देयता रखता है;

(ग) देयता का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना हो; या

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न

हो। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के निर्गम द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं,

इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। वितरण तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, और हानि के जोखिम को बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया हो। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और उसे प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक संभावित विधि का प्रयोग किया जाता है, तथा राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। विचाराधीन राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, क्योंकि बिक्री अनुबंध के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। सामान्यतः, राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल पाने का अधिकार सीधे तौर पर हमारे आज तक पूरे किए गए निष्पादन से मेल खाता है।

ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय, बकाया मूलधन के संदर्भ में समय के आधार पर तथा लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर होती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को आरंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है।

लाभांश

लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आमतौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं।

अन्य दावें

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का प्रावधान है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता, जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य संबंधित लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वह प्राप्त होती है।

प्रवर्तक के योगदान के रूप में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे «पूंजी रिजर्व» में मान्यता दी जाती है जो «शेयरधारक निधि» का हिस्सा बनती है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध पट्टा तब कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं और (iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा उस तिथि को न चुकाए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मान्यता देनी होगी, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके मापा जाता है, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम किया जाता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

पट्टा दायित्व को प्रारम्भ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देयताओं को उपयोग के अधिकार से संबंधित परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलनपत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को «वित्तीय देयताएं» शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टा अवधि की समाप्ति तक करेगा।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को या तो वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः स्थानांतरित कर देता है। प्रारंभ में, वित्तीय पट्टे के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्ति को तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है तथा पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, वह एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.6 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है या बिक्री का निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री पूरी होने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन प्रयोजनों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-चालू परिसंपत्तियों का अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक सार हो। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, त्यागा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार ढूंढने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है

- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है, जो उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, तथा
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां यह दर्शाती हैं कि इस बात की संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री के लिए वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या पुनर्स्थापना लागत भी शामिल होती है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

(क) व्यापार छूट और रियायतों में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य।

(ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत।

(ग) वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान में सुधार करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग इन्वेंट्री बनाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।

(घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग की लागत, जो उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है। हालांकि, मूल्यह्रास प्रभार निर्धारित करने में पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण भाग (भागों) को एक ही उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि के साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को मद की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किये जाने वाले भागों की वहन राशि नीचे उल्लिखित अमान्यता नीति के अनुसार अमान्य कर दी जाती है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(लीजहोल्ड भूमि सहित) : परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो

भवन (सड़क सहित)	:	3-60 वर्ष
दूरसंचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	:	1-40 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-5 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन, उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिसके दौरान प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ परिसंपत्ति मदों जैसे अन्य भूमि, साइट पुनर्स्थापना परिसंपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियां को छोड़कर। कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी वस्तुओं के लिए उपयोगी जीवन को तकनीकी रूप से एक वर्ष माना गया है, जिसमें शून्य अवशिष्ट मूल्य भी है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

“अन्य भूमि» के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएए आर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टाधारित भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

वे परिसंपत्तियां जो पूर्णतः मूल्यह्रासित हो चुकी हैं तथा सक्रिय उपयोग से हटा ली गई हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र उपकरण के अंतर्गत अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षणित परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया (अपनी समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, जैसा कि भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.8 खदान बंदी, साइट की मरम्मत और डीकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचनाओं को हटाने के लिए कंपनी के दायित्व में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खदानों पर खर्च शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य में नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान बंद करने, साइट की मरम्मत और डीकमीशनिंग के लिए अपने दायित्व का अनुमान लगाती है। खदान बंद करने पर होने वाला व्यय अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ा दिया जाता है, और फिर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी अंतिम पुनर्ग्रहण और खदान बंद करने की देयता से संबंधित एक संगत परिसंपत्ति का रिकॉर्ड रखती है। दायित्व और संबंधित परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें देयता उत्पन्न हुई है। खदान बंद करने की योजना के अनुसार कुल साइट की मरम्मत की लागत (केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा अनुमानित) का प्रतिनिधित्व करने वाली परिसंपत्ति को पीपीई में एक अलग मद के रूप में मान्यता दी गई है और शेष परियोजना/खदान पर परिशोधित किया गया है। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है; एक व्यय का सृजन होता है जिसे वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है

इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता बनाए रखा जाता है।

कुल खदान बंद करने के दायित्व का हिस्सा बनने वाले वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि वापस ली जाती है।

2.09 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित कर लिए जाते हैं और खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी जाती है, तो पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और «विकास» शीर्षक के अंतर्गत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

<u>व्यावसायिक प्रचालन</u>

परियोजना/खान को राजस्व में तब लाया जाता है; जब परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन देने के लिए व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

(1) उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या

(2) कोयला प्राप्त करने के 2 वर्ष, या

(3) उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाए जाने पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अंतर्गत परिसंपत्तियों को «अन्य खनन अवसंरचना» नाम के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचनाओं का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है, जब खदान को राजस्व के अंतर्गत लाया जाता है। 20 वर्ष या परियोजना की कार्यशील अवधि, जो भी कम हो।

2.10 अमूर्त संपत्तियां और परिशोधन

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि के नुकसान पर किया जाता है।

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर इसे लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधन किया जाता है और जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उनकी क्षति का भी मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। परिसंपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को, उपयुक्त रूप से परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों (अर्थात् सीआईएल के लिए चिन्हित न किए गए ब्लॉकों) से संबंधित अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

शोध पर व्यय को व्यय के रूप में तब जोड़ा जाता है जब वह व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती है।

2.11 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई के उपयोग मूल्य और उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है और इसे किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह उत्पन्न न हो जो कि अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से होने वाले प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र हो, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी उत्पादक इकाइयों के रूप में मानती है

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है तथा हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.12 संपत्ति मे निवेश

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) जो किराया कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है, न कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए; या सामान्य व्यवसाय के क्रम में बिक्री के लिए, उन्हें निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो, उधार लागत भी शामिल होती है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.13 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन प्रदान करता है।

2.14.1 वित्तीय पूंजी

2.14.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा उचित मूल्य पर दर्ज न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से, साथ ही वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतों को भी शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री, जिसके लिए बाजार में विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार), को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात वह तिथि जिस दिन कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्तियां जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण, डेरिवेटिव और इक्विटी उपकरण (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो 'ऋण साधन' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

1) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना होता है, तथा

2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

   प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम तथा शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं तो एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

1) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है,

2) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधियों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, हानि नुकसान और प्रतिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पी एंड एल में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता हो। हालाँकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के अनुसार नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना) के अनुसार, परिवर्तनकाल की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी अन्य इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह का चुनाव साधन दर साधन आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के सभी उचित मूल्य परिवर्तन, ओसीआई में पहचाने जाते हैं। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ और हानि विवरण में «अन्य आय» के रूप में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (अर्थात् तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या किसी तीसरे पक्ष को 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित करती है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश करती है, तो वह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और लाभ को बरकरार रखा है। जब कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें अपने पास रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी अपनी निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को

भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल अग्रणीत राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि, जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है, में से निम्नतम राशि पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ) व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन से उत्पन्न होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देनदारियां

2.14.3.1 प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखे गए वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचाना जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

2.14.3.5 मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता द्वारा काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के भाग) की अग्रणीत राशि, जो समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित

हो गई है, तथा भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें हस्तांतरित गैर-नकद परिसंपत्तियां या ग्रहण की गई देयताएं शामिल हैं, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण उपकरण हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव कम ही होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे परिवर्तन बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तत्काल अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके हिसाब का तरीका दर्शाती है

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुन:वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुन: वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान किया जा सकता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या किसी देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो ऐसे माप के लिए प्रयुक्त इनपुट के अवलोकन की क्षमता पर निर्भर करता है:

(क) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

(ग) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अप्रत्यक्ष इनपुट)।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन

और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.14.7 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हस्तगत नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतें, जब कभी भी व्यय की जाती हैं, व्यय में शामिल की जाती हैं, सिवाय उन मामलों के जहां वे सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण हों, अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक अर्हक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

2.16 कर

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय आयकर (पुनर्प्राप्त) की राशि होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए आस्थगित की गई कर देयताओं को आमतौर पर दर्शाया जाता है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर दर्शाया गया है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देयताओं को उस अवधि तक नहीं दर्शाया जाएगा, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य आस्तियों के प्रारंभिक स्वीकृति (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां समूह अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओंको स्वीकृति प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथाब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को कुछ हद तक स्वीकृति प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अस्वीकृति प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक स्वीकृति दी जाती है किआस्थगित कर संपत्ति केसभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबंधित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य इकाइयों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का प्रयोजन हो।

2.17 कर्मचारी हित लाभ

2.17.1 अल्पावधि हित लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जिनका निपटान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बारह महीने से पहले पूरी तरह से किया जाना अपेक्षित है जिस में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए कोष में एक निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं।इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयताओं के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिओँ में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभ के अलावा सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदे शामिल हैं, जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, लाभ या हानि के विवरण में निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग चिन्हित किया जाता है:

1) सेवा लागत

2) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

3) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनःमापन

2.18 विदेशी मुद्रा

लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्य वर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिस में वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.2 भंडार, पुर्जे, और अन्य वस्तु सूची

अन्य इन्वेंटरी सहित भंडार और पुर्जो के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किए जाते हैं और 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किए जाते हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाहकी संभावना दूर नहीं होती।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.22 प्रति शेयर उपार्जन

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ में विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिस में अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का वित्तीय विवरणों के नोट्स में घोषणा की जाती है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय विवरण हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है,जिस पर वे लागू होते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

1. उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
2. वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता:

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

II. केवल विधिक ही नहीं बल्कि आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां प्रतिबिंबित है।

III. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

IV. मितव्ययी, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क.भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख.परिभाषित मानदंड और आस्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जोकि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी ऊर्जा क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

2.23.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी रुप में पहले की अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजे गए त्रुटियों/चूक को अपरिवर्तित और समायोजित किया जा सकता है, अगर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का %1 से अधिक न हों।

2.23.1.3 परिचालन पट्टे

कंपनी ने पट्टा करार किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण को बरकरार रखता है परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए इन संपत्तियों और खातों के स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कार।

2.23.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिस में अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाले लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा नीचे किया गया है:

2.23.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की हानि

हानि तब होती है जब किसी आस्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, जो कि उचित मूल्य से अधिक निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है ।कंपनी व्यक्तिगत परियोजनाओं को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से नकदी उत्पन्न करने वाली भिन्न इकाइयों के रूप में मानती है ।उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ़ मॉडल पर आधारित है ।नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कंपनी अभी तक या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है वह सीजीयू के परीक्षण के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा ।वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और बाह्य गणन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं ।विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा और संबंधित नोटों में आगे बताया गया है।

2.23.2.2 आयकर

अस्थायी आस्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक स्वीकृति प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 पारिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की स्वीकृतियो में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी अनुबंध के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.23.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.24 प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर:

क.	**CGU**	नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई	**ठ.**	**ECL**	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	DCF	रियायती नकदी प्रवाह	ड.	BCCL	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ढ़.	CCL	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ण.	SECL	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड़.	GAAP	आमतौर पर स्वीकार किये गए लेखा सिद्धांत	त.	MCL	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक	थ.	NCL	नदर्ण कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय	द.	WCL	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	P&L	लाभ और हानि	ध.	CMPDIL	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
झ.	PPE	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	न.	NEC	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	प.	IICM	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
ट.	EIR	प्रभावी ब्याज दर	फ.	CIL	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी						**(₹ लाख में)**
नोट - 4.1 : निवेश	-	-	होल्डिंग का %	**31.03.2025को**		**31.03.2024 को**
गैर वर्तमान	-	-				
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)				-		-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)				-		-
कुल				-		-
वर्तमान	-	-		**31.03.2025को**		**31.03.2024 को**
म्यूचुअल फंड (अउद्धृत)	**इकाई**	**एनएवी (₹)**				
अन्य						
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)				-		-
कुल				-		-
4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण						
		गैर वर्तमान			**वर्तमान**	
		31.03.2025को	**31.03.2024 को**		**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:		-	-		-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:		-	-		-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:		-	-		-	-
निवेशों के मूल्य में हानि की कुल राशि:		-	-		-	-

नोट - 4.2 : ऋण	31.03.2025को	31.03.2024 को
गैर चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
- क्रेडिट खराब हुआ है	-	
	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
		-
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
- क्रेडिट खराब हुआ है	-	
	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1	-	
		-
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	-	-

चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- ऋण खराब हुआ है	-	-
	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.2.1	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
निगम और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्रेडिट खराब हुआ है	-	-
	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 4.3: व्यापार प्राप्तियाँ	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
सुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	
असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
क्रेडिट खराब हुआ है	-	
	-	-
घटाएँ : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.3.1	-	
कुल	-	-

4.3.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू एवं गैर-चालू)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

7. व्यापार प्राप्तियाँ आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025को

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	**बिल न किए गए बकाया**	**6 महीने से कम**	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

31.03.2024 को							
व्यापार प्राप्तियाँ आयु निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	बिल न किए गए बकाया	**6 महीने से कम**	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

नोट - 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
बैंकों में शेष राशि		
-जमा खातों में	-	-
-चालू खातों में	9.84	5.45
भारत के बाहर बैंक शेष राशि	-	-
प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी4.4.1	-	-
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	-	-
हाथ में नकदी	-	-
भारत के बाहर हाथ में नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	-	
कुल	**9.84**	**5.45**

4.1 नकदी और नकदी समतुल्य में पास में मौजूद नकदी, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
बैंकों में शेष राशि		
जमा खाते	-	
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए)[4.5.1])	-	
कुल	-	-

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में जमाराशियां शामिल हैं - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है। - नोट 16 का पैरा 4(डी) देखें।

नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
	-	-		
गैर-चालू	-	-		
सुरक्षा जमा			-	
कम: संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता[4.6.1]			-	-
			-	-
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां			-	
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा [4.6.2]			-	
			-	-
वित्त पट्टा प्राप्य[4.6.4]			-	-
अन्य जमा और प्राप्य[4.6.5]			75.24	75.24
कम : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता[4.6.1]			-	
			75.24	**75.24**
कुल			**75.24**	**75.24**

चालू			**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
सुरक्षा जमा			-	-
कम : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता[4.6.1]			-	-
			-	-
मुख्यालय, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष			-	
कम : सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता			-	-
			-	-
-	-	-		-
अर्जित ब्याज			-	-
वित्त पट्टा प्राप्य 5			-	-
अन्य जमा और प्राप्य			-	-
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1			-	-
			-	-
कुल			-	-

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.6.2 खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमाराशि

खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि का 50% तक दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 9.1 देखें)।

	31.03.2025को	**31.03.2024 को**
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस के बाद शुद्ध)		
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि		
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	-	-

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण		**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
पट्टा आय		-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती		-	-
कुल		-	-

(ii)पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण		**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
एक वर्ष से कम		-	-
एक से दो वर्ष के बीच		-	-
दो से तीन वर्ष के बीच		-	-
तीन से चार वर्ष के बीच		-	-
चार से पांच वर्ष के बीच		-	-
पांच वर्ष से अधिक		-	-
कुल		-	-

परिचालन लीज़

(iii)पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण		**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
पट्टा आय		-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती		-	-
कुल		-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण		**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
एक वर्ष से कम		-	-
एक से दो वर्ष के बीच		-	-
दो से तीन वर्ष के बीच		-	-
तीन से चार वर्ष के बीच		-	-
चार से पांच वर्ष के बीच		-	-
पांच वर्ष से अधिक		-	-
कुल		-	-

(v) 30.06.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 5.1 : इन्वेंटरी			**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
कोयला (तैयार माल)			-	
विकास परियोजनाओं में कोयला			-	-
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान			-	-
			-	-
भंडार, स्पेयर्स और अन्य सूची (निवल) [5.1.3]			-	-
कम: धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलती और अप्रचलित सूची के लिए प्रावधान				
			-	-
कुल			-	-

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में बदलाव का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान चिन्हित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान चिन्हित		
वर्ष के दौरान अमान्य		
वर्ष के अंत में शेष	-	-

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

नोट - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
-	-	-		
पूंजी अग्रिम			-	-
कम: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1			-	
			-	-
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम				
अन्य जमा और अग्रिम			-	-
कम: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता[6.1.1]			-	
			-	-
			-	
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय [6.1.2]			-	
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि			-	-
कुल			-	-

6.1.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान चिन्हित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-

वर्ष के अंत में शेष	-	-

6.1.2 उपरोक्त विवरण, खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	-	-	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम	-	-		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान			-	
कम : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता[6.2.1]			-	
			-	-
अन्य जमा और अग्रिम[6.2.2 और 6.2.3]			0.01	0.01
कम: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता[6.2.1]			-	
			0.01	**0.01**
प्रगतिशील खदान बंद होने पर होने वाला व्यय[6.1.2]			-	
प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट [6.2.4]			-	
कुल			**0.01**	**0.01**

6.2.1खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान चिन्हित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	
वर्ष के अंत में शेष	-	-

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी	-	-	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी				
"50000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए (पिछला वर्ष .50000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए)"			5.00	5.00
कुल			**5.00**	**5.00**

7.1.1कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक)		कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उसके नामिती		50000	100.000	0.000	100.00	0.00%

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	शेयर की सं.	राशि
31.03.2019 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन		
31.03.2022 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	50,000	500,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2025 तक शेष राशि	50,000	500,000.00

नोट - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2025को	31.03.2024 को
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
प्रतिधारित आय	(613.74)	(610.71)
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**(613.74)**	**(610.71)**

(ए) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2025को	31.03.2024 को
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान जोड़	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	**राशि (₹ लाख में)**	**वर्ष**
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद		
कुल	**0**	

(बी) पूंजी रिजर्व

	31.03.2025को	31.03.2024 को
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(सी) सामान्य रिजर्व

	31.03.2025को	31.03.2024 को
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
सामान्य रिज़र्व में/से स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

सामान्य रिज़र्व एक मुक्त रिज़र्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2025को	31.03.2024 को
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(610.71)	(606.90)
अवधि के लिए लाभ	(3.02)	(3.81)
अंतरिम लाभांश	-	
अंतिम लाभांश	-	
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	**(613.74)**	**(610.71)**

(d) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (d(i) + (ii))	**(613.74)**	**(610.71)**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (कर पश्चात निवल)

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की जाती है।

(ई) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2025को	31.03.2024 को
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

<u>नोट - 8.1 : उधार</u>	31.03.2025को	31.03.2024 को
गैर-चालू		
अवधिक ऋण		
बैंकों से 8.1.1 और 8.1.2		
सुरक्षित	-	
असुरक्षित	-	-
अन्य से 8.1.3	-	
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
	-	-

चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
दूसरों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता 8.1.1	-	-
	-	-

नोट - 8.2: लीज़ देयताएँ

गैर-चालू	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि		
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत		
लीज़ देयताओं का भुगतान		
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-
चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	
पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
1 वर्ष तक		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक		

8.2.2 31.03.2025 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
इमारत					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
इमारत					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनों					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में चिन्हित राशियाँ

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	-	-

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह की घोषणा की गई

विवरण		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान		-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी			
		-	-

नोट - 8.3 : व्यापार देयताएं	31.03.2025को	31.03.2024 को
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	-	-
कुल	-	-

8.3.1 व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025को

	निम्न अवधि के लिए अंतरण तिथि से बकाया				
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

31.03.2024 को

	निम्न अवधि के लिए अंतरण तिथि से बकाया				
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

नोट - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं	31.03.2025को	31.03.2024 को
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाता	3,563.06	3,241.00
सुरक्षा जमा	3.63	3.63
बयाना राशि	0.05	0.05
पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	-
कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व	3.00	2.00
अन्य 8.4.2 & 8.4.3	9.05	3.09
कुल	**3,578.79**	**3,249.77**

नोट - 9.1 : प्रावधान	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंदी [9.1.3]	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन[9.1.2]	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
एक्स-ग्रेसिया	-	-
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	-
अन्य कार्मिक लाभ[9.1.4]	-	-
	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

भारतीय मानक लेखांकन -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**अवधि के दौरान प्रभारित**	**अवधि के दौरान उपयोग किया गया**	**अवधि के अंत में शेष राशि**
अनुग्रह राशि	-	-	-	0.00
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	-	-	0.00
अन्य कार्मिक लाभ	-	-	-	0.00
अन्य	-	-	-	0.00

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (वर्तमान और गैर-वर्तमान) में गतिविधि का विवरण

	31.03.2025को	**31.03.2024 को**
(i) अग्रिम स्ट्रिपिंग परिसंपत्ति:		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान चार्ज/रिवर्स की गई राशि	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		
(ii) अनुपात विचरण आरक्षित		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान चार्ज/उलटा हुआ	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (i-ii)	-	-

भूमि पुनर्ग्रहण/स्थल पुनरुद्धार/खदान बंद करने का समाधान :

	31.03.2025को	**31.03.2024 को**
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली का प्रावधान	0.00	
साइट बहाली प्रावधान का जोड़	-	
जोड़: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की समाप्ति	0.00	0.00
कम: अवधि के दौरान निकासी	-	
खदान बंद करने का प्रावधान	**0.00**	**0.00**

<u>**नोट - 10.1 : अन्य गैर-चालू देयताएं**</u>	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

<u>**नोट - 10.2 : अन्य वर्तमान देनदारियां**</u>	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
वैधानिक बकाया	6.13	5.44
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम राशि	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएँ[2]	-	-
कुल	**6.13**	**5.44**

नोट - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	31.03.2025 को	**31.03.2024 को**
आयकर संपत्ति		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	3.08	3.08
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी	-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	3.08	3.08

आयकर देयताएं		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त (14.1 और 15.1 देखें)	-	-
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन	-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	
अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	**3.08**	**3.08**
इस प्रकार प्रकट किया गया:		
गैर चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	-
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
चालू		
आयकर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	3.08
आयकर देयताएँ (शुद्ध)	-	-
	-	**3.08**

नोट - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2024 तक शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उलट)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:				
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान				-
कार्मिक लाभ				-
अन्य				-
(A) का कुल	-	-	-	-
विलम्बित टैक्स देयता:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित				-
अन्य	-			-
(B) का कुल	-	-	-	-
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (C= A-B)	-	-	-	-
D. " परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन डीटीएल(+)/डीटीए(-)"	-	-		-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (E=C+D)	-	-	-	-

किए गए खुलासे के अनुसार:	**31.03.2025को**	**31.03.2024 को**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	-
आस्थगित कर देयता	-	-
	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी (₹ लाख में)

नोट - 12.1 : परिचालन से राजस्व	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
बिक्री		
बिक्री	-	
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	-	
बिक्री (शुद्ध) (ए) 12.1.1, 12.1.2 और 12.1.3	-	-
अन्य परिचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	-	
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	-	
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क		
घटाएँ: वैधानिक शुल्क		
	-	-
अन्य सेवाओं से राजस्व4	-	
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	-	
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (बी)	-	-
परिचालन से राजस्व (ए+बी)	-	-

नोट - 12.2 : अन्य आय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
ब्याज आय12.2.1	-	-
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	
लीज़ किराया12.2.2	-	
वापस लिखा गया प्रावधान12.2.2	-	
वापस लिखी गई देयताएँ	-	
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	
विविध आय12.2.3	-	
कुल	**0.00**	-

12.2.1 आयकर रिफण्ड पर ब्याज शामिल है ₹ शून्य (पिछली अवधि ₹ शून्य, पी.वाई. ₹ शून्य)

12.2.2 प्रतिलिखित प्रावधान का विवरण		
निगम और कर्मचारियों को दिए गए ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-

कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान प्रतिलिखित कुल प्रावधान	-	-

नोट - 13.1 : प्रयुक्त सामग्री की लागत	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
विस्फोटक	-	
लकड़ी	-	
तेल और स्नेहक	-	
एचईएमएम स्पेयर्स	-	
अन्य उपभोज्य स्टोर और स्पेयर्स	-	
कुल	-	-

नोट - 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

नोट - 13.2 : तैयार माल, प्रगतिरत कार्य और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
कोयले की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	
	-	-
कर्मशाला और प्रेस कार्य की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	
	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
वेतन और मजदूरी13.3.1 और 13.3.2	-	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
कुल	-	-

नोट - 13.4 : वित्तीय लागत	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
ब्याज व्यय		
छूट समाप्त करना	-	
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	-	-
कुल	-	-

13.4.1 इसमें उधार पर उपार्जित ब्याज ₹………….लाख शामिल है (पिछले वर्ष की संगत अवधि ₹………….लाख, पिछले वर्ष ₹………….लाख)

नोट - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	-	(0.57)
प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.4)	-	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	-	(0.57)
घटाएँ:		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय में स्थानांतरित	-	
कुल	-	**(0.57)**

नोट - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
एडवांस स्ट्रिपिंग (नेट)	-	
अनुपात भिन्नता रिजर्व	-	
	-	-

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।

नोट - 13.7: संविदागत व्यय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिवहन शुल्क	-	
वैगन लोडिंग	-	
संयंत्र और उपकरणों को किराये पर लेना	-	
अन्य संविदात्मक कार्य	-	
कुल	-	-

नोट - 13.8 : अन्य व्यय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
बिजली खर्च	-	-
मरम्मत और रखरखाव		
-इमारत	-	-
-संयंत्र और उपकरण	-	-
-अन्य	-	-
यात्रा व्यय	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	-	-
विज्ञापन और प्रचार	-	-
माल ढुलाई शुल्क	-	-
विलंब शुल्क	-	-
अंडर लोडिंग शुल्क	-	-
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-

कानूनी व्यय	-	-
सीआईएल का सेवा शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क	-	0.44
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस के लिए	1.24	1.42
कर मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.62	0.71
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	-
पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज़ किराया और किराये पर लेने का शुल्क1	-	-
दरें और कर	-	-
बीमा	-	-
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय13.4.2	-	-
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	-
प्रावधान13.4.1	-	-
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	-
विविध व्यय	1.17	1.16
कुल	**3.02**	**3.72**

13.4.1 प्रावधानों का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान प्रतिलिखित कुल प्रावधान	-	-

<u>नोट - 14.1 : कर व्यय</u>	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
चालू वर्ष	-	
पिछले वर्ष	-	-
कुल चालू कर	-	-
आस्थगित कर	-	
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	-	-

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर से पहले लाभ/(हानि)	(3.02)	(3.81)
आयकर दर 25.168% (31.03.2022: 25.168%) पर	-	-
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर		
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	-	
एमएटी प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	-	-
प्रभावी आयकर दर:	**0.00%**	**0.00%**

14.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

<u>**नोट - 15.1 : अन्य व्यापक आय**</u>	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन1	-	
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	
	-	-
वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
कुल	-	-

नोट – 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स

1 a) **आकस्मिक देयताएं**

I. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2024 को खुलने की तिथि	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि					-
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					-
क. प्रारंभिक शेष राशि से					-
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31.03.2025 को समापन	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2023 को खुलने की तिथि	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि					-
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					
क. प्रारंभिक शेष राशि से					-
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31.03.2024 को समापन	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2025**	**31.03.2024**
1	**केंद्र सरकार**		
	आयकर		
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
	केंद्रीय बिक्री कर		
	सेवा कर		
	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप कुल	-	-
2	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
	प्रवेश कर		
	बिजली शुल्क		
	अन्य		
	उप कुल	-	-

3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही		-
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर		-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	उप कुल	-	-
4	**अन्य: (यदि कोई हो)**		
	विविध - भूमि एवं अन्य		
	कर्मचारी संबंधी आदि.		
	उप कुल	-	-
	कुल योग	-	-

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2025 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (गत वर्ष ₹ 0.00 लाख) है।

III. साख पत्र

31.03.2025 तक बकाया ऋण पत्र शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

ख) प्रतिबद्धताएं

31.03.2025 तक शून्य

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह जानकारी

i) प्रमोटर कंपनियां

क्र सं	**इकाई का नाम**	**प्रमुख गतिविधियाँ**	**इसके निगमन का देश**	**% इक्विटी ब्याज**	
				31.03.2025	**31.03.2024**
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	100	100

B. समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेन-देन

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ने अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ लेनदेन किया है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी तथा चालू खाते के माध्यम से सहायक कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय मानक लेखांकन 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:

i) अधिकार वाली कंपनी उस समय तक बकाया शेष राशि और समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

संबंधित पक्षों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	भुगतान किया लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	सहायक कंपनियों द्वारा जमा किये गये धन पर ब्याज	अन्य (एमसीएल के साथ चालू खाते पर लगाया गया ब्याज)	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्य	बकाया शेष राशि (देय)/प्राप्तियां
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	-	-	-	248.23	-	3,563.06	-
कुल वर्तमान अवधि	-	-	-	-	**248.23**	-	**3,563.06**	-

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री केशव राव	अध्यक्ष	10.01.2020
श्री ए. के. पांडे	निदेशक	01.03.2023
श्री जी. महापात्रा	निदेशक	01.03.2023
श्री के.एस.सिंह	निदेशक	28.04.2022
श्री एस. के. भूयां	सीईओ	16.03.2021

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र सं	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक , पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान		31.03.2025	31.03.2024
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ			
a.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान		-	0
b.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस		-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ		-	0
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ			
iv)	समाप्ति लाभ			-
v)	शेयर आधारित भुगतान			
	कुल		-	-
टिप्पणी:				

VI) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया संतुलन

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्त राशि	-	-

VIII)कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

3 **अन्य**

a) **अधिकृत पूंजी**

	31.03.2025	31.03.2024
₹ 10/- प्रत्येक के 50000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	5.00	5.00

4 उचित मूल्य मापन

(a) वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025		31.03.2024	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
निवेश :				
सुरक्षित बांड				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण				
जमा एवं प्राप्तियाँ		75.24		75.24
व्यापार प्राप्तियां*				
नकद और नकद समतुल्य		9.84		5.45
अन्य बैंक बैलेंस				
वित्तीय देयताएं				
उधारी				
व्यापार देयताएं				
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		3.68		3.68
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताएं				

* कोयला गुणवत्ता भिन्नता हेतु भत्ता व्यापार प्राप्य से काटा गया।

(b) उचित मूल्य अनुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (a) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (b) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों की घोषणा की जाती है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में निरेश देने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	31.03.2025		31.03.2024	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके उचित मूल्य 31.03.2025 को प्रकट किए गए हैं	31.03.2025		31.03.2024	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय पूंजी				
निवेश :				
सुरक्षित बांड				
ऋण				
जमा एवं प्राप्तियाँ		75.24		75.24
व्यापार प्राप्तियां*				
नकद और नकद समतुल्य		9.84		5.45
अन्य बैंक बैलेंस				

वित्तीय देयताएं					
उधारी					
व्यापार देयताएं					
सुरक्षा जमा और बयाना राशि			3.68		3.68
पट्टा देयताएं					
अन्य देयताएं					

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन निवल परिसंपत्ति मूल्य
(एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(c) उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निष्पादन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने से प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन के ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापी गई व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति	आयु विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
चलनिधि जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

A. **ऋण जोखिम:.**

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है

ईंधन आपूर्ति समझौते (FSAs)

जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार और उसके अनुसार, कंपनी ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य विद्युत उपयोगिताओं, निजी विद्युत सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए

उपयोगिताएँ ("पीपीयू") और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक ("आईपीपी")

- गैर-विद्युत उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित) में ग्राहकों के साथ एफएसए; तथा
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए.

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयला आवश्यकता की मौसमीता और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्ष संविदागत दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी संदिग्ध/ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करती है। नोट - 13, व्यापार प्राप्य देखें

वित्तीय आस्तियों की क्षति के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

B. **नकदी जोखिम**

विवेकपूर्ण नकदी जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति (अनारित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथाओं और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. **बाजार ज़ोखिम**

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंक जमा से उत्पन्न होता है, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशि को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 **कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक -19)**

परिभाषित लाभ योजनाएं

a **ग्रेच्युटी**

"कंपनी ग्रेच्युटी, एक पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट परिभाषित लाभ योजना (""ग्रेच्युटी स्कीम") प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम ₹ 20 लाख के अधीन है, जैसा कि संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए किया जाता है। ग्रेच्युटी स्कीम के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्च्यूअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन और एक्च्यूरियल मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में।

ग्रेच्युटी स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कवरेज (लाइफ कवर सम एश्योर्ड- "एलसीएसए") भी प्रदान करता है। अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई, अधिकतम 20 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी।"

b) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)**

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जो अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/केवल भारत में निवास स्थान में किसी भी विकलांगता के 40% से कम नहीं होने पर अधिकतम सीमा के अधीन चिकित्सा प्रदान करती है, जो कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोयला कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। वानिवृत्त अधिकारियों, पति/पत्नी और आश्रित दिव्यांग बच्चों के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है, सिवाय निर्दिष्ट बीमारियों के, जिनकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस योजना को समूह के लिए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए रखा जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

C) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर अधिकारी(सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घरेलू में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि अधिकतम सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा देने या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) की मृत्यु पर। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग मिलाकर पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है। दिव्यांग बच्चे के पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि ₹ 2.5 लाख होगी। इस योजना को समूह के लिए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए रखा जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

परिभाषित योगदान योजनाएं

a) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी योग्य कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है अर्थात मूल वेतन का 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए महंगाई भत्ता क्रमशः। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

b)

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।.

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

a) अवकाश नकदीकरण

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान अवकाश (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। . सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यपालकों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने और मृत्यु के कारण सेवा बंद करने पर हकदार हैं, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।.

b) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत देय लाभ होता है।

c) व्यवस्थापन भत्ते

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

d) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। GPAIS दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

e) **यात्रा भत्ता योजना**

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

f) **खदान दुर्घटना में श्रमिक मुआवजा लाभ**

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में 07.11.2019 से कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

निर्धारित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्तपोषित

o ग्रेच्युटी

o छुट्टी नकदीकरण

o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – अधिकारी
(सीपीआरएमएसई)

o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर अधिकारी
(सीपीआरएमएस-एनई)

(ii) वित्तविहीन

o जीवन बीमा योजना

o निपटान भत्ता

o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

o छुट्टी यात्रा रियायत

o खान दुर्घटना लाभ पर आश्रित
को मुआवजा

7 **अन्य सूचना**

a) Segment Reporting **खंड रेपोर्टिंग:-**

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

b) **प्रति शेयर आय**

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	इक्विटी शेयर धारकों को देय कर के बाद शुद्ध लाभ		
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
iii)	रुपये में प्रति शेयर मूल और डाइलुटेड आय (अंकित मूल्य ₹____/- प्रति शेयर)		

(c) **बीमा और वृद्धि दावे**

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(e) **चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।**

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(f) **शेष राशि की पुष्टि**

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

f) **बेनामी संपत्तिः**
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

g) **बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:**
कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास दाखिल तिमाही रिटर्न/चालू परिसंपत्तियों का विवरण आम तौर पर लेखा पुस्तकों के अनुरूप होता है।

h) **जानबूझकर चूककर्ताः**
कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

i) **हटाई गई कम्पनियों के साथ संबंध:**
कंपनी ने हटाई गई कंपनियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

j) **कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क का पंजीकरण या संतुष्टिः**
कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।

k) **कंपनियों की कई परतों का अनुपालनः**
कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

m) **व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालनः**
वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।

n) **उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोगः**
(A) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी इकाई (मध्यस्थ) को कोई फंड अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। (बी) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पार्टी से कोई फंड प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

o) **क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी**
कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

p) **अघोषित आय:**
कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(g) **अनुपात**

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए	अंतर
(a) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	0.0036	0.0026	38%
(b) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
(c) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि। ऋण सेवा = ब्याज और लीज़ भुगतान + मूलधन चुकौती "कर के बाद शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएँ शामिल नहीं हैं।	0.0000	0.0000	0%

(d) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाया जाता है) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से भाग दिया जाता है	0.0050	0.0063	-21%
(e) "इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा सीओजीएस या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है। "	0.0000	0.0000	0%
(f) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्य के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
(e) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा सीओजीएस या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।+C140	0.0000	0.0000	0%
(h) "निवल पूंजी कारोबार अनुपात: यह कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।"	0.0050	0.0063	-21%
(i) "निवल लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।"	0.0000	0.0000	0%
(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता"	0.0000	0.0000	0%
(k) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।			
(i) असूचीगत सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.0000	0.0000	0%
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर : आरआईओ = प्राप्त लाभांश / संयुक्त उद्यम की इक्विटी में औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

(iii) निश्चित आय निवेश (बांड/डिबेंचर आदि) पर आरआईओ = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडी के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

9 विविध जानकारी

i. **वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू नवीनतम लेखांकन घोषणाएँ**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करते हैं। इन संशोधनों में Ind AS 117 की शुरूआत शामिल है - Ind AS 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों के साथ बीमा अनुबंध; Ind AS 116 में संशोधन - कुछ बीमाकर्ताओं के लिए पट्टे और Ind AS 104 की निरंतरता। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

iii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 1 से 16 तक हस्ताक्षर।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

हस्ता/-
(एम.आर.मिश्रा)
प्रबंधक(वित्त)
डीआईएन-10125609

हस्ता/-
(एस. के. भुइयां)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(जी. महापात्र)
निर्देशक

हस्ता/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
दिलीप समीर एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
(सीए दिलीप कुमार मोहंती)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 058471

तारीख : 09.04.2025
स्थान:भुवनेश्वर

Mahanadi Basin Power Limited

Mahanadi Basin Power Limited

(A Wholly Owned Subsidiary Company of MCL)

Regd. Office: Plot No. G-3, Gadakana, Chadrasekharpur,
Bhubaneswar - 751017 (Odisha).